9696992170
हार्दिक पाण्डेय
छात्र सेवक टी डी कॉलेज बलिया

(1) "अनुबंध एक ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है"
उपरोक्त कथन स्पष्ट कीजिए।

उत्तर:- अनुबंध का राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होना –
भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2(h) के अनुसार:-

अनुबंध एक ऐसा ठहराव है। जो कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। दायित्व के राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होने से आशय है कि यदि एक पक्ष अपने वचन को निभाने में त्रुटि करता है तो दूसरा पक्ष उसे न्यायालय की सहायता से वचन को निभाने के लिए बाध्य करता है परन्तु कुछ दायित्व ऐसे भी होते है जो अधिनियम द्वारा प्रवर्तनीय तो होते है परन्तु कोई ~~कुछ~~ ठहराव नहीं उत्पन्न करते है

" ऐसे दायित्व निम्नलिखित है,"

(1) न्यायालयो के द्वारा घोषित निर्णय

(2) अर्द्ध अनुबंध

9696992170
हार्दिक पाण्डेय
छात्र सेवक टी डी कॉलेज बलिया

(iii) दीवानी अपकार या दुस्कृति

(iv) पति पत्नी दस्तो व लाभ पाने के मध्य उत्पन्न दायित्व ।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वे ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होते है तथा कुछ शर्तो को पुर्ण करते है अनुबंध कहलाते है

9696992170
हार्दिक पाण्डेय
छात्र सेवक टी डी कॉलेज बलिया

Page: 03
Date: 16/09/24

(2) प्रस्ताव और स्वीकृति को परिभाषित करिए। वैध प्रस्ताव सम्बन्धित नियमों की विवेचना करिए।

उत्तर :- प्रस्ताव की परिभाषा :- भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 2 (क) के अनुसार "जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने के लिए या उससे विरत रहने के सम्बन्ध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि उस दूसरे व्यक्ति की सहमति उस कार्य को करने या उससे विरत रहने के सम्बन्ध में प्राप्त हो। तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रस्ताव किया है।

स्वीकृति की परिभाषा :- भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 के धारा 2(ख) के अनुसार जब वह व्यक्ति जिसके लिए प्रस्ताव किया गया है उस पर अपनी सहमति दे देता है तो यह कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। स्पष्ट है कि स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों को दूसरे व्यक्ति द्वारा सहमति प्रदान की जाती है

उदाहरण के लिए:- अ ने ब को अपनी मोटरकार 50,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा यदि ब इस बात पर अपनी सहमति प्रकट कर देता है तो वह स्वीकृति मानी जायेगी

प्रस्ताव सम्बन्धी वैधानिक नियम

अधिनियम के अनुसार तथा न्यायालयों के कुछ महत्वपुर्ण निर्णयों के आधार पर प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नलिखित वैधानिक नियम महत्वपुर्ण है।

(1) प्रस्ताव की शर्ते निश्चित होनी चाहिए

प्रस्ताव की सारे बाते निश्चित व स्पष्ट होनी चाहिए अनिश्चित प्रस्ताव राजनियम की दृष्टि से प्रस्ताव नहीं होते।

उदाहरणार्थ :- अ एक घोड़ा ब से खरीदकर यह वचन देता है कि अगर पहला घोड़ा भाग्यवान निकला तो वह ब से

एक और घोड़ा खरीदेगा। ब इस वायदे को राजनियम द्वारा प्रवर्तित नहीं करा सकता क्योंकि यह अनिश्चित और अस्पष्ट है।

(2) प्रस्ताव निवेदन के रूप में होना चाहिए :-

प्रस्ताव का अधिकार है कि प्रस्ताव को स्वीकार करने का ढंग नियत कर दे, किन्तु प्रस्ताव आज्ञा के रूप में नहीं बल्कि प्रार्थना के रूप में होना चाहिए

उदाहरणस्वरूप :- अ, ब के सम्मुख अपनी गाय 5000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव इस शर्त के साथ करता है कि यदि उत्तर पाँच दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझा जाएगा कि हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

प्रस्तावक का ऐसा कथन उचित नहीं है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से आज्ञा है।

प्रस्ताव का उद्देश्य वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करना होना चाहिए :-

प्रस्ताव वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से होना चाहिए।

जब दो पक्षकारो के बीच ठहराव का उद्देश्य वैधानिक दायित्व उत्पन्न करना नही होता तो वह वैध अनुबन्ध नही हो सकता। वास्तव मे प्रस्ताव से वैधानिक परिणाम की उत्पत्ति होनी चाहिए और उसे वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ होना चाहिए। व्यापारिक लेन-देन में पक्षकारो के बीच राजनियम की दृष्टि से प्रस्ताव का आशय वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करना होता है परन्तु साधारणत: सामाजिक ठहराव वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से नही होते। अत: वे राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नही हो सकते इस बारे में बैलफर बनाम बैलफर का वाद महत्वपूर्ण है

उदाहरण के लिए अ अपने घर पर ब को अपनी लड़की की शादी के अवसर पर भोजन के लिए निमंत्रित करता है और स्वीकार कर लेता है। ऐसा ठहराव अनुबन्ध नही हो सकता है क्योंकि यहां दोनो पक्षकारो का उद्देश्य वैधानिक सम्बन्ध स्थापित करना नही है

9696992170
हार्दिक पाण्डेय
छात्र सेवक टी डी कॉलेज बलिया

(4) प्रस्ताव की संसुचना होना आवश्यक है:

प्रस्ताव की सुचना उस व्यक्ति को आवश्य होनी चाहिए जिसके ~~सुचना~~ सम्मुख वह रखा गया है कि जिससे वह उसे स्वीकार कर सके। जब तक उस व्यक्ति को जिसके सम्मुख प्रस्ताव रखा गया है प्रस्ताव की सुचना नही होगी वह उसे स्वीकार नहीं कर सकता। जब तक प्रस्ताव की संसूचना नही होती वह स्वीकार नही किया जा सकता और ठहराव का रूप धारण नही कर सकता।

9696992170
हार्दिक पाण्डेय
छात्र सेवक टी डी कॉलेज बलिया

(5) प्रस्ताव विशिष्ट अथवा सामान्य हो सकता है:

प्रस्ताव साधारण या विशेष हो सकता है जब कोई प्रस्ताव साधारण जनता के सामने या व्यक्तियो के अनिश्चित समुह के सामने रखा जाता है तब इसे समान्य प्रस्ताव कहते है, लेकिन प्रस्ताव जब किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियो के निश्चित समूह के सामने रखा जाता है तब उसे विशेष प्रस्ताव कहते है यह आवश्यक नही है कि प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति के सामने ही रखा जाए, पर

जब तक प्रस्ताव किसी निश्चित व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा स्वीकार न कर लिया गया हो तब तक वह अनुबन्ध का आधार नहीं हो सकता। विशेष प्रस्ताव को केवल वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिसके लिए वह प्रस्ताव किया गया है किन्तु समान्य प्रस्ताव को जन-साधारण का कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है

(6) प्रस्ताव अभिव्यक्त अथवा गर्भित हो सकता है

अनुबन्ध अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जब किसी वचन का प्रस्ताव शब्दों में किया जाता है वह वचन अभिव्यक्त कहलाता है जब ऐसा प्रस्ताव शब्दों से अन्यथा किया जाता है वह वचन गर्भित कहलाता है इस प्रकार प्रस्ताव लिखित या मौखिक रूप में शब्दों में प्रकट किया जा सकता है अथवा गर्भित रूप में प्रस्ताव के व्यवहार अथवा अपने आचरण ~~द्वारा~~ द्वारा प्रस्ताव कर सकता है यह आवश्यक नहीं कि प्रस्ताव अभिव्यक्त ही हो। रेलगाड़ी का एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को ही रेलगाड़ी पर चढ़ने के लिए जनता को प्रस्ताव है

जिसे जनता एक स्टेशन से दुसरे स्टेशन जाने के लिए टिकट खरीदकर प्रस्ताव स्वीकार करती है। ये दोनों गर्भित ~~तथा~~ प्रस्ताव तथा गर्भित स्वीकृति के उदाहरण है। किसी नीलामी में बोली लगाना क्रय करने का गर्भित प्रस्ताव होता है।

9696992170

हार्दिक पाण्डेय

छात्र सेवक टी डी कॉलेज बलिया

(3) अनुबंध का निष्पादन क्या है? अनुबंधो के निष्पादन सम्बन्धित नियमों को लिखिये।

उत्तर: अनुबंध का निष्पादन :- अनुबंधो के निर्माण का उद्देश्य अनुबंध का निष्पादन है अनुबंध अधिनियम के अन्तर्गत विधिमान्य अनुबन्ध का निर्माण हो जाने के पश्चात अनुबन्धों के पक्षकारों के मध्य अनुबन्धात्मक सम्बन्ध उत्पन्न हो जाते हैं अनुबंध का निष्पादन होने तक पक्षकारों के मध्य सम्बन्ध बने रहते हैं और जब पक्षकार अनुबन्ध के अन्तर्गत अपने दायित्वों का पालन कर देते हैं तो अनुबन्ध समाप्त हो जाते हैं इस प्रकार एक अनुबन्ध में दो पक्षकारों के मध्य वैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा करके अनुबन्ध का निष्पादन कर दिया जाता है अथवा अन्य प्रकार के अनुबन्ध समाप्त हो जाता है।

अनुबंध निष्पादन द्वारा अनुबन्ध की समाप्ति के लिये निम्नलिखित ढंग होते हैं धाराएं (37-62)

9696992170
हार्दिक पाण्डेय
छात्र सेवक टी डी कॉलेज बलिया

(i) धारा 37 के अनुसार: अनुबंध का प्रत्येक पक्षकार अपने - अपने वचनों का पालन करने के लिये तब तक बाध्य होगा, जब कि उसे ऐसे पालन से मुक्ति नहीं दी जाती।

(ii) धारा 38 के अनुसार: निष्पादन का प्रस्ताव शर्तरहित व प्रस्ताव के पुरे भाग के लिये होना चाहिए

(iii) धारा 40 के अनुसार: अनुबन्ध का निष्पादन वचनदाता, वचनदाता के प्रतिनिधि अथवा किसी तृतीय पक्षकार से वचन का निष्पादन किया जासकता है

(iv) यदि अनुबंध में निष्पादन के समय और स्थान का उल्लेख हो तो पक्षकारों को उसी स्थान और समय पर उसे निष्पादन करना चाहिए

(v) धारा 59 से 61 भुगतानों के नियोजन से सम्बन्धित है ऋणी द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार भुगतान का नियोजन करना चाहिए।